संख्या- 112/2025/1466/छप्पन-2025-99/2013 टी0सी0- 1

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 19 दिसम्बर, 2025

विषयः कानपुर आर0सी0एस0 एयरपोर्ट पर सुरक्षा एवं अग्निशमन उपकरणों के किराये का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 249/आर0सी0एस0/एस-3(के)/2025 दिनांक 06 नवम्बर, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि एम0ओ0यू0 की व्यवस्था के आलोक में, कानपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा एवं अग्निशमन की व्यवस्था के निमित्त सुरक्षा एवं अग्निशमन उपकरणों के किराए के मद में हुए व्यय के डिमाण्ड नोट भुगतान हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रेषित किए जाते हैं, जिसमें से अप्रैल, 2024 तक के बिलों का भुगतान किया जा चुका है।

एयरपोर्ट निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कानपुर द्वारा कानपुर एयरपोर्ट से संचालित आर0सी0एस0 वायुसेवा हेतु क्रय व उपयोग किये गये सुरक्षा एवं अग्निशमन उपकरणों के किराये के भुगतान हेतु माह मई, 2024 से नवम्बर, 2024 तक डिमाण्ड नोट प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः-

डिमाण्ड नोट/ बिल का सन्दर्भ	**अवधि**	**धनराशि (रू0)**
AAI/NR/RCS/2024-25/02 दिनांक 26.06.2024	01 मई, 2024 से 31 मई, 2024 तक	1,29,71,747/-
AAI/NR/RCS/2024-25/03 दिनांक 18.07.2024	01 जून, 2024 से 30 जून, 2024 तक	1,41,53,356/-
AAI/NR/RCS/2024-25/04 दिनांक 21.08.2024	01 जुलाई, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक	99,34,786/-
AAI/NR/RCS/2024-25/05 दिनांक 20.09.2024	01 अगस्त, 2024 से 31 अगस्त, 2024 तक	98,39,347/-
AAI/NR/RCS/2024-25/06/ दिनांक 28.10.2024	01 सितम्बर, 2024 से 30 सितम्बर, 2024 तक	1,44,44,818.02/-
AAI/NR/RCS/2024-25/07/ दिनांक 25.11.2024	01 अक्टूबर, 2024 से 31 अक्टूबर, 2024 तक	1,38,10,460.75/-
AAI/NR/RCS/2024-25/08/ दिनांक 27.12.2024	01 नवम्बर, 2024 से 30 नवम्बर, 2024 तक	1,04,53,066.58/-
	योग	**8,56,07,581.35/- Or Say 8,56,07,581/-**

उक्त के दृष्टिगत कानपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा एवं अग्निशमन उपकरणों के किराये का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किये जाने हेतु रू0 8,56,07,581/- (रूपये आठ करोड़ छप्पन लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सात हज़ार पाँच सौ इक्यासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से बजट भी आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित कानपुर एयरपोर्ट पर मई, 2024 से लेकर नवम्बर, 2024 तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं हेतु धनराशि रू0 8,56,07,581/- (रूपये आठ करोड़ छप्पन लाख सात हज़ार पाँच सौ इक्यासी मात्र) के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 8,56,07,581/- अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
2. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।
3. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
5. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
6. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है। निदेशक, नागरिक उड्डयन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त बिलों की शुद्धता एवं धनराशि की गणना के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।
7. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 8,56,07,581/- (रूपये आठ करोड़ छप्पन लाख सात हज़ार पाँच सौ इक्यासी मात्र) तत्काल आवंटित कर सम्बन्धित को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2056-26 के अनुदान संख्या-38 राजस्व लेखा "लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 112/2025/1466(1)/ छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
3. आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग, नई दिल्ली।
5. जिलाधिकारी, कानपुर।
6. विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कानपुर हवाई अड्डा, कानपुर।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13
9. समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।